न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 64/2014, जिला सीकर

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रिछपाल सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम आकवा, तहसील सीकर, जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री गोरूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम आकवा, तहसील सीकर, जिला सीकर (राज.)
2. मु. चावली देवी पत्नी श्री सुखदेवा, जाति जाट, निवासी ग्राम आकवा, तहसील सीकर, जिला सीकर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धोद, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 25.04.2013 प्रकरण संख्या 251/13 उनवानी भागीरथ सिंह बनाम सरकार ।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से श्री अजय सैनी
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —27.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 25.04.2013 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.12.2014 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 564 रकबा 3.09 हैक्टेयर वाके ग्राम आकवा, तहसील व जिला सीकर में स्थित है। उक्त खसरा नं. के पुराने खसरा नं. 294 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा है। गत रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा को चैक करने पर 3.16 हैक्टेयर रकबा बनता है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर के खेत में 0.07 हैक्टेयर रकबा कम होता है नया नक्शे में दक्षिणी सीमा पश्चिम से पूर्व 116 मीटर है जबकि पुराने नक्शे में 130 मीटर है। इस प्रकार से नये नक्शे को 14 मीटर बताते हुए नये सिरे से नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करें। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने प्रकरण में बिना कोई पत्रावली कायम किये बिना किसी पक्षकार को नोटिस जारी करें, हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 25.04.2013 को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 565 रकबा 2.78 हैक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम आकवा, तहसील व जिला सीकर की भूमि में से 0.07 हैक्टेयर की खातेदारी कम कर विपक्षी भागीरथ के नाम अंकित करने के आदेश तहसीलदार धोद को दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 25.04.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रिछपाल द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 25.04.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम आकवा तहसील सीकर में स्थित उपरोक्त विवादित वादग्रस्त आराजी में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में से 0.07 हैक्टेयर भूमि कम करने के आदेश पारित कर दिये लेकिन उपरोक्त आदेश पारित से पूर्व प्रकरण की कोई पत्रावली कायम नहीं की, अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुँचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 564 रकबा 0.09 हैक्टेयर के सर्वेशीट व नक्शे को दुरूस्त करे तथा अपनी इच्छानुसार यह बता दिया कि पुराने नक्शे में व नये नक्शे में 14 मीटर का अंतर आता है तथा इस आशय की हल्का पटवारी से बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये रिपोर्ट तैयार करवा ली तथा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करवा दी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने किन प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया इसका प्रार्थना पत्र में कोई अंकन नहीं किया तथा न ही अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी व तहसीलदार धोद से रिपोर्ट मंगवाने के संबंध में किसी प्रावधान का कोई अंकन किया। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि खसरा नं. 565 रकबा 2.78 हैक्टेयर को क्रय किया था तथा क्रय की दिनांक से ही अर्थात 12.07.2004 से उपरोक्त सम्पूर्ण रकबे पर अपीलार्थिया काबिज थी तथा पुराना नक्शा व नया नक्शा व मौके की स्थिति पक्षकारों के अधिकारों के अनुरूप थे उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। उनका कहना था कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। यदि रेस्पोंडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने थे तो उन्हें अपीलान्ट एवं अन्य सहकृषकों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 25.04.2013 निरस्त किया जावे। अपीलार्थिया को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 14.11.2014 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो उसकी जानकारी में आया कि अपीलार्थिया की भूमि में से 0.725 हैक्टेयर भूमि का रकबा कम कर दिया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थिया ने नामान्तकरण निकलवाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी की तो उसे सर्वप्रथम दिनांक 19.11.2014 को यह जानकारी में आया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.04.2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तत्पश्चात् बिना किसी देरी के दिनांक 19.11.2014 को ही अपीलार्थिया ने अपीलाधीन निर्णय एवं सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी उसे दिनांक 19.12.2014 को नकल दी गई। इसलिये दिनांक 25.04.2013 से दिनांक 19.11.2014 की अवधि को मुजरा दिये जाने के पश्चात नकल प्राप्ति से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत है।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 564 रकबा 3.09 हैक्टेयर वाके ग्राम आकवा, तहसील व जिला सीकर में स्थित है। उक्त खसरा नं. के पुराने खसरा नं. 294 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा है। गत रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा को चैक करने पर 3.16 हैक्टेयर रकबा बनता है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर के खेत में 0.07 हैक्टेयर रकबा कम होता है नया नक्शे में

Scanned by CamScanner

दक्षिणी सीमा पश्चिम से पूर्व 116 मीटर है जबकि पुराने नक्शे में 130 मीटर है। इस प्रकार से नये नक्शे को 14 मीटर बताते हुए नये सिरे से नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करें। उपखण्ड सीकर ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 25.04.2013 को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 565 रकबा 2.78 हैक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम आकवा, तहसील व जिला सीकर की भूमि में से 0.07 हैक्टेयर की खातेदारी कम कर विपक्षी भागीरथ के नाम अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिये तथा तहसीलदार धोद को आदेश की पालना हेतु आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट ख़ारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 19.12.2014 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। राजस्व नक्शा (Revenue Map) एक महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है एवं इसमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी ख.नं. का रकबा बढ रहा है तथा अन्य ख.नं. का रकबा कम हो रहा है तो इस तरह का अनुतोष सम्बन्धित की सहमति के बिना धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत के तहत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने थे तो उन्हें प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकंर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 25.04.2013 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner